राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसरः

जिला-श्रीगंगानगर(राज.)

E-mail: director.csfjetsar@gmail.com Phone: 01498-261261

पत्राकःके.रा.फा./जैत./कृषि/मछली/10-50/2018-19/ दिनांकः 11.10.2018

अल्पकालीन निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला-श्रीगंगानगर(राज.) पर वर्ष 2018-19 मे पक्की डिग्गीयों से मछली पालने एंव बेचने हेतु दिनांकः 22.10.2018 को अपराहनः 2.00 बजे तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। अन्य नियम एंव शर्ते निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। आगे कोई भी शुध्दिपत्र अथवा अन्य सूचना निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर ही डाली जायेगी।

उप महाप्रबंधक(फार्म)

E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963GOI003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालयः– बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012

पत्रांकः के.रा.फा. / जैत. / कृषि / मछली / 10–50 / 2018–19 / दिनांक 11.10.2018

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु अल्पकालीन निविदा नियम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 व 2019–20 (अवधि निविदा दिनांक से 31 मार्च, 2020) की अवधि हेतु ठेके पर देने का प्रस्ताव है ।

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक / चक संख्या	जलाशय का आकार* लम्बाई x चौड़ाई x गहराई	जलाशयों की संख्या	धरोहर राशि रूपयों में (अंको में)
1	पक्की डिग्गी	I / 3 BGD	102 x 102 x 4.2	1	रू. 10,000 / –
2	पक्की डिग्गी	II / 2JKM	100 x 100 x 4.5	1	रू. 10,000 / –
3	पक्की डिग्गी	II / 6 MGM	250 x 120 x 3.5	1	रू. 15,000 / –
4	पक्की डिग्गी	II / 1WM-II/9-10 SAD	250 x 100 x 4.0	1	रू. 15,000 / –
5	पक्की डिग्गी	III / 3 MGM	102 x 102 x 4.2	1	रु 10,000 / –
6	पक्की डिग्गी	II / 2 MGM	50 x 50 x 4.2	1	रु 10,000 / –
7	पक्की डिग्गी	II / 1 SAD	50 x 50 x 4.2	1	रु 10,000 / –
8	पक्की डिग्गी	III/ 5 SAD	100 x 100 x 4.5	1	रु 10,000 / –

(* मीटर मे)

निविदा दिनांक 22.10.2018 को 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन 02.30 बजे खोली जायेगी। निविदा मे भाग लेने के लिए प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में फार्म के कृषि कार्यालय से रू.200 / – निगम के खाते मे (खाता संख्याः 33963396672, IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) / NEFT/RTGS करवाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा देते समय प्रत्येक डिग्गी के लिए अलग अलग उक्त वर्णित निश्चित धरोहर राशि जो कि नैशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के नाम से, भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला पर देय डी.डी. अथवा निगम के खाते मे (खाता संख्याः 33963396672, IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) / NEFT/RTGS करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। सफल निविदा दाताओं की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद लौटाई जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा के साथ पैनकार्ड, आधार कार्ड / वोटर आई.डी. की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

निविदा संबंधी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कृषि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

प्रबधंक (उत्पादन)
कृते निदेशक

E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963PLC003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)
रजिस्टर्ड कार्यालयः– बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012

पत्रांकः के.रा.फा./जैत./कृषि/मछली/10–50/2018–19/ दिनांकः 11.10.2018

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांकः के.रा.फा./जैत./कृषि/मछली/10–50/2018–19/ दिनांकः 11.10.2018 निविदा भेजने हेतु पताः–
उप महाप्रबन्धक(फार्म)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर,
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांकः– 22.10.2018 स्थानः– केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर,

विषयः– केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपर्युक्त निविदा विज्ञप्ति में सन्दर्भित निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 8 तक के लिए वर्ष 2018–19 व 2019–20 की अवधि निविदा दिनांक से 31 मार्च, 2020 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :–..
2. पिता/पति का नाम :–..
3. पूरा पता :–..
....
....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :–..
5. पैन नम्बर :–..(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र/आधार कार्ड नम्बर आदि..(प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क(रु.200/–) रसीद संख्या..............................दिनांक..............................
अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..............................दिनांक..............................

निविदा राशि प्रस्ताव(टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में सन्दर्भित निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 8 तक के लिए वर्ष 2018–19 व 2019–20 की अवधि निविदा दिनांक 31 मार्च, 2020 तक ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

लगातार पेज नं. 2 पर..........................

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	जलाशय का आकार* लम्बाई x चौड़ाई x गहराइ	जलाशयों की संख्या	ठेका अनुसार निविदा मुल्य प्रस्ताव (Tender Offer) (रूपयों में)
1	पक्की डिग्गी	I / 3 BGD	102 X 102 X 4.2	1	
2	पक्की डिग्गी	II / 2JKM	100 X 100 X 4.5	1	
3	पक्की डिग्गी	II / 6 MGM	250 X 120 X 3.5	1	
4	पक्की डिग्गी	II / IWM-II/9-10 SAD	250 X 160 X 4.0	1	
5	पक्की डिग्गी	III / 3 MGM	102 X 102 X 4.2	1	
6	पक्की डिग्गी	II / 2 MGM	50 X 50 X 4.2	1	
7	पक्की डिग्गी	II / 1 SAD	50 X 50 X 4.2	1	
8	पक्की डिग्गी	III/ 5 SAD	100 X 100 X 4.5	1	

(* मीटर में)

धरोहर राशि का विवरणः—

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरणः—

ठेका नम्बर	बैंक ड्राफ्ट न0एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपयों में (अकों व शब्दों में)
1			
2			
3			
4			

(उपर्युक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्यक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम .....

पूरा पता .....

.....

.....

मो0 न0.....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–मिनीरत्न कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

जिला श्रीगंगानगर (राज0)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर में पक्की डिग्गीयों मे मछली पालने व बेचने के लिए निविदा की नियम व शर्तें

1. केन्द्रीय राज्य फार्म के अधिकार में उपलब्ध निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों मे मछली पालने व बेचने हेतु वर्ष 2018–19 व 2019–20 की अवधि का ठेका निश्चित किया गया है। ठेके पर देने हेतु डिग्गीयों का विवरण निम्न प्रकार है:–

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक / चक संख्या	जलाशय का आकार* लम्बाई x चौड़ाई x गहराइ	जलाशयों की संख्या
1	पक्की डिग्गी	I / 3 BGD	102 X 102 X 4.2	1
2	पक्की डिग्गी	II / 2JKM	100 X 100 X 4.5	1
3	पक्की डिग्गी	II / 6 MGM	250 X 120 X 3.5	1
4	पक्की डिग्गी	II / IWM-II/9-10 SAD	250 X 160 X 4.0	1
5	पक्की डिग्गी	III / 3 MGM	102 X 102 X 4.2	1
6	पक्की डिग्गी	II / 2 MGM	50 X 50 X 4.2	1
7	पक्की डिग्गी	II / 1 SAD	50 X 50 X 4.2	1
8	पक्की डिग्गी	III/ 5 SAD	100 X 100 X 4.5	1

(* मीटर में)

2. ठेका नं0– एक व दो तथा पांच से आठ के लिए धरोहर राशि रू. 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) व ठेका नं0– तीन व चार की डिग्गी के लिए रू. 15,000/–(अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) का डी0 डी0 जो 'राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के नाम से, भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला(IFSC code SBIN0008251) NEFT/RTGS द्वारा देय हो। धरोहर राशि, कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
3. धरोहर राशि के लिये चैक या लिफाफे में रखी गयी नगद राशि मान्य नहीं होगी साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो निविदा को भी निरस्त किया जा सकता है।
4. निविदादाता को निविदा जमा कराने के पश्चात् उसे वापस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
5. मछली पालन का कार्य ठेका न0 1 से 8 तक की अवधि वर्ष 2018–19 व 2019–20 (अवधि निविदा दिनांक से 31 मार्च, 2020 तक) के लिए दिया जायेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात ठेकेदार का सम्बन्धित डिग्गीयों पर कोई अधिकार नहीं होगा।
6. ठेका न0 1 से 8 तक सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होते ही 25 प्रतिशत राशि पर 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगीए 50 प्रतिशत राशि 30 दिवस मे तथा शेष बची 25 प्रतिशत राशि 60 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की तिथि से समस्त राशि 60 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। सफल निविदादाता द्वारा राशि जमा कराने के बाद अन्य असफल निविदादाताओं की अमानत राशि लौटाई जायेगी। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बाद पुनः निविदा में यदि कम निविदा दर आने पर नुकसान होता है तो उसकी ठेकेदार से भरपाई की जायेगी।
7. सफल निविदा को निविदा राशि का 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभुति राशि 15 दिवस में जमा करानी होगी जोकि ठेका समाप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी।
8. सफल निविदादाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवम् फैक्स व पत्र/ईमेल मान्य नहीं होगा।
11. ठेकेदार द्वारा मछली पकड़ने/रखवाली करने के लिए जो आदमी लगाये जाऐंगे उनकी सूची पूर्ण पते सहित इस कार्यालय को देनी होगी। इस कार्यालय द्वारा सामयिक आज्ञा–पत्र जारी किया जाएगा। आज्ञा–पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति फार्म में मछली पकडने हेतु दाखिल नही होगा।
12. डिग्गियों में मछली का बीज डालने, पालन–पोषण, उसकी समस्त देखभाल करने तथा सुरक्षा करने व अन्य समस्त कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार को मात्र ठेके पर दिये गये डिग्गीयों से ही मछली पकड़ने का अधिकार होगा। फार्म में अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियां,कार्यकलापों में व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलाना,मवेशी पालना, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो, उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का

अधिकार नही होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी समस्त जमा राशियां जब्त कर ली जायेगी।

14. यदि मछली पकडने पर टैक्स/चूँगी या कोई भी कर, परमिट आदि लागू होगा तो उसका प्रबन्ध/ भुगतान ठेकेदार को स्वंय ही अपने खर्च पर करना होगा।
15. डिग्गीयों में संचयित पानी मे से डिग्गी के आकार के अनुसार फार्म फसलों के लिए पानी उपयोग मे लेगा शेष बचा हुआ पानी लगभग 5 फुट या उसके आस–पास स्तर तक पानी डिग्गी मे मछली उत्पादन के लिए बना रहेगा। किन्तु नहर बन्दी होने से डिग्गी में पानी का स्तर यदि 5.0 फीट से कम होता है तो इसके लिए फार्म प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. ठेकेदार को ठेके पर दिये गये डिग्गीयों में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या न पकड सकने के कारण तथा अन्य किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान आदि के लिये किसी प्रकार का हर्जाना अथवा मुआवजा या छूट प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
17. मत्स्य बीज संग्रहण,मछली पालन एवम पकडना, मछली फार्म से बाहर ले जाना इत्यादि सभी कार्य दिन के उजाले में ही करने होगें। रात्रि में मात्र मछलियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनिधि रखने का अनुरोध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकार किया जा सकता है।
18. किसी भी वाहन द्वारा मछली की ढुलाई करने हेतु फार्म के सम्बन्धित अधिकारी का गेट पास अनिवार्य होगा।
19. मछली पकडने के लिए जाल की व्यवस्था तथा इन्हें लाने ले जाने के लिए परिवहन का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा।
20. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
21. ठेकेदार को मत्स्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम 1953 व 1958 तथा समय समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पडेगा।
22. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वंय जिम्मेदार होगें तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होगें।
23. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
24. निविदादाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण पते के अभाव मे यदि कोई पत्र आदि सूचना निविदादाता के पास नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेवारी नहीं होगी।
25. फार्म अधिकारी को निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
26. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा मे फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके की शर्त संख्या 23 के अनुसार ठेका निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट कर निगम के फार्मों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दें।
27. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह के लिए ब्याज सहित जमा कराने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बाद पुनः निविदा में यदि कम निविदा दर आने पर नुकसान होता है तो उसकी ठेकेदार से भरपाई की जायेगी।
28. रू.100/– के स्टाम्प पर नियम व शर्तों का अनुबन्ध मय दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ देना होगा।
29. किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामले को राष्ट्रीय बीज निगम लि0 के माननीय अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष निपटान हेतु पेश किया जाएगा जिसका फैसला अंतिम होगा व दोनो पक्षों को मान्य होगा, फिर भी विवाद होने पर न्याय हेतु केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर के क्षेत्राधिकार से संबंधित ही न्यायालय मान्य होगा।

घोषणा:–

मैनें फार्म में मछली ठेके की निविदा की शर्तें पढ ली है। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य है तथा हस्ताक्षर मैनें अपनी रजामन्दी, बिना किसी दबाव के, पूर्ण होशोहवास मे किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्थान.. .....

दिनांक.....